क्रम-संख्या—65(ख—4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०/91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020

बैशाख 4, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग—2

संख्या 399/ग्यारह-2—9(47)-17-उ0प्र0अधि0—1-2017-आदेश(102)-2020

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

प0आ0—106

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम (2) का अनुपालन किया है, यदि वह कोई विदेशी कंपनी है, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, को अधिसूचित करती है।

2—उक्त व्यक्तियों को, उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के **प्ररूप जीएसटी आर—9ग** में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु, भारतीय कारोबार संचालनों के संबंध में प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का विवरण, वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया है।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 399/XI-2—9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(102)-2020, dated April 24, 2020 :

No. 399/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(102)-2020

Dated Lucknow, April 24, 2020

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under sub-section (1) of section 381 of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013) and who have complied with the sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** to the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (2) of section 44 of the said Act *read* with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules:

Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations, duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year.

By order,

ALOK SINHA,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 57 राजपत्र–2020–(110)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 राज्य कर–2020–(111)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

57 RPH rajaya kar anu-2 GST folder.-2020-DATA-7e